

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्र०क० 03/2015 अ०दी०

संस्थापित दिनांक 20.01.2015

- 1 श्रीमती भागवती देवी (विधवा) पत्नी विहारीलाल सोनी, उम्र 62 वर्ष।
  - 2 प्रदीप कुमार सोनी पुत्र विहारीलाल सोनी, उम्र 38 वर्ष।
  - 3 संजीव कुमार सोनी पुत्र विहारीलाल सोनी, उम्र 36 वर्ष।
  - 4 दीपक कुमार सोनी पुत्र विहारीलाल सोनी, उम्र 34 वर्ष। समस्त निवासीगण बडा बाजार गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०
  5. श्रीमती मंजू पुत्री विहारीलाल, पत्नी मनोज कुमार, उम्र 45 वर्ष, निवासी पटेल नगर ग्वालियर।
  6. श्रीमती छाया पुत्री विहारीलाल, पत्नी कमलेश सोनी, उम्र 42 वर्ष, निवासी दतिया म०प्र०
- .....अपीलार्थीगण/आवेदकगण

**बनाम**

- 1 संजीव सोनी पुत्र मुन्नालाल सोनी, उम्र 37 वर्ष, जाति स्वर्णकार, निवासी बडा बाजार गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०
- .....प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक

अपीलार्थीगण द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी द्वारा श्री एन०पी० कांकर अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक **21-07-2017** को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थीगण/आवेदकगण के द्वारा वर्तमान अपील व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 96

के अंतर्गत प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद, पीठासीन अधिकारी कुमारी शैलजा गुप्ता द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 07ए/2012 ई0दी0 (श्रीमती भागवती देवी आदि वि0 संजीव) में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 18.12.2014 से व्यथित होकर पेश की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद निरस्त किया गया है। आगे के पदों में अपीलार्थीगण को वादीगण एवं प्रतिअपीलार्थी को प्रतिवादी के रूप में संबोधित किया जाएगा।

02. संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद इस प्रकार रहा है कि वादीगण जो कि मृतक विहारीलाल के पत्नी, पुत्र व पुत्रियाँ होकर उसके वैध वारिस है और विहारीलाल के स्वत्व एवं आधिपत्य की सदर बाजार गोहद में स्थिति दुकान जिसमें बने हुए कमरे तथा पाखाने के गड्ढे के संबंध में विवाद है जिसका मानचित्र संलग्न प्रकरण है। मृतक विहारीलाल के द्वारा दिनांक 20.07.1978 को बिक्रेता महेश, लक्ष्मण पुत्रगण धनीराम व श्रीमती भागवती पत्नी धनीराम से विधिवत क्रय किया था जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में बड़ा जग्गा रघुनाथ जी का, उत्तर में रघुनाथ जी दुकान तथा दक्षिण में वेनीराम स्वर्णकर की दुकान है। वादग्रस्त स्थल की लम्बाई पूर्व से पश्चिम 23 फिट तथा उत्तर से दक्षिण 12 फिट है, जिसका 1/2 भाग प्रतिवादी का है और वादीगण के पिता स्व0 विहारीलाल की मृत्यु हो जाने से उसका 1/2 भाग उनका है। दुकान के पश्चिम दिशा में एक कमरा 12 फिट का चौड़ा उत्तर से दक्षिण के लिए एवं 10 फिट पूर्व से पश्चिम में बना हुआ है तथा एक पाखाने का गड्ढा दुकान के पूर्व दिशा में वादीगण एवं प्रतिवादी के आधे आधे हिस्से में बना हुआ है और दुकान के उपर वाले हिस्से में रिहायसी मकान बना हुआ है, जिसमें वादीगण निवास करते हैं। वादीगण व प्रतिवादी क्रय दिनांक से ही उक्त पखाने के गड्ढे का उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। स्व0 विहारीलाल नगरपालिका गोहद से विधिवत अनुमति मकान बनाने की लेकर नक्शा बनवाया था तथा वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी के पिता द्वारा दुकान क्रय करते समय 1/2 - 1/2 भाग क्रय किया था जिसके अनुसार वादीगण को 6 फिट की दुकान मिलनी थी, किन्तु प्रतिवादी के पिता ने यह आश्वासन दिया कि वह वादीगण के पिता को हमेशा पश्चिम दिशा में बने कमरे में जाने के लिए आवागमन करने देगा जिस

कारण उनके द्वारा 5 फिट की दुकान ली। वादीगण को अपने स्वामित्व व आधिपत्य की दुकान में जाने के लिए यही एक मात्र रास्ता था जिसका प्रतिवादी ने दिनांक 15.08.2011 को वादीगण को विवादित कमरे के उपयोग से रोककर कब्जा छीन लिया है तथा वादीगण को जो रास्ता प्रतिवादी द्वारा दुमान में से जाने के लिए दिया था वह भी बंद कर दिया है तथा प्रतिवादी द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी के शामिलाली पाखाने के गड्ढे को भी दिनांक 15.01.2012 से जबरदस्ती पत्थरों से भरकर बंद कर दिया है और मना करने पर झगड़े पर आमद हो गया है। अतः वादीगण को उक्त विवादित कमरा, दुकान तथा पखाने के गड्ढे का स्वामी घोषित कर उसके उपयोग व उपभोग में प्रतिवादी को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने बावत स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की गई थी।

03. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का वादोत्तर प्रस्तुत करते हुए वादपत्र में अभिकथित प्राक्कथनों से प्रत्याख्यान करते हुए विशेष कथनों में यह आधार लिया है कि मृतक विहारीलाल के स्वामित्व व आधिपत्य की एक दर की दुकान है, जिसमें कोई कमरा व पाखाना नहीं बना है, मानचित्र गलत रूप से बनाया गया है। विवादित दुकान का आधा भाग विहारीलाल के द्वारा क्रय किया गया था एवं आधा भाग प्रतिवादी के पिता मुन्नालाल के स्वामित्व व आधिपत्य का था। उक्त दुकान की लम्बाई 23 फिट न होकर 32 फिट है। मृतक विहारीलाल के हिस्से की दुकान में पश्चिम दिशा की ओर बना कमरा प्रतिवादी के स्वत्व व आधिपत्य का है। दुकान की उपरी मंजिल पर वादीगण निवास न कर वार्ड क्रमांक 12 बड़ा बाजार गोहद में निवास करते हैं। पखाने के गड्ढे का उपयोग उनके द्वारा कभी नहीं किया गया है। वादीगण बेईमानीपूर्वक प्रतिवादी के स्वत्व व आधिपत्य के कमरे को विवादित बताकर हड़पना चाहते हैं। विवादित कमरा प्रतिवादी का है जिसका उपयोग वह व उसके पिता 25 वर्षों से करते चले आ रहे हैं जिससे वादीगण का कभी भी आवागमन नहीं रहा है तथा विवादित कमरा प्रतिवादी की दुकान का भाग है, जिसका वह उपयोग व उपभोग कर रहा है। वादीगण के पिता ने अपने स्वत्व व आधिपत्य की दुकान मय विवादित कमरे के श्रीमती रेखा शर्मा को दिनांक 20.10.2005 को बिक्रय कर दी थी जिसे प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 26.08.10 को विधिवत क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया है और तब से प्रतिवादी विवादित कमरा जो कि वादीगण की दुकान का भाग है का

मालिक होकर उस पर काबिज है। वादीगण ने दिनांक 20.07.78 को बिना किसी स्वत्व के अवैधानिक रूप से वयनामा किया है जिसके आधार पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य प्रतिवादी के स्वत्व व आधिपत्य की दुकान के उपर किया जिससे प्रतिवादी की दुकान के नीचे पानी आया तब उनके द्वारा निर्माण कार्य रोके जाने से वादीगण नाराज हो गए और प्रतिवादी की दुकान के उपर निर्माण करने तथा अपना आधिपत्य हटाकर कब्जा देने का गलत रूप से आवश्वासन देते आ रहे हैं, किन्तु वादीगण द्वारा प्रतिवादी की छत पर किए गए निर्माण तथा कब्जे को नहीं हटाया गया है और वह रंजिशन प्रतिवादी को परेशान करने हेतु यह असत्य दावा पेश किया गया है। अतः वादीगण का वाद प्रतिवादी के विरुद्ध सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

05. अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, साक्षियों का परीक्षण कराया गया है एवं दस्तावेज प्रमाणित कराये गये हैं। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने गुण-दोष पर निराकरण करते हुये उक्तानुसार वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा प्रमाणित होना न पाते हुए निरस्त किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

06. अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति को विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने, प्रस्तुत किये गये दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य पर अविश्वास करने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं कर वाद विषयों का सही निष्कर्ष नहीं निकालने में त्रुटि किये जाने एवं एवं आलोच्य आदेश उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

07. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से आलोच्य निर्णय को विधि एवं साक्ष्य के अनुरूप होना दर्शाते हुए अपीलार्थीगण की अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

08. अपील याचिका पर अपीलार्थीगण/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री एन.पी. कांकर को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के व्यवहार वाद क्र0 07ए/2012 ई0दी0 ( भागवती देवी आदि वि0 संजीस सोनी ) में पारित निर्णय डिक्री दिनांक

18.12.2014 एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

09. अपील प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:—

01.	क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क० 07ए/2012 ई०दी० ( भागवती देवी आदि वि० संजीस सोनी ) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2014 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होकर निरस्ती योग्य है?
02.	क्या अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं किया है ?
03.	क्या अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य है?

### ॥ सकारण निष्कर्ष ॥

10. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि वादग्रस्त स्थान जिस भवन में स्थित है वह भवन वादीगण के पिता/पति एवं प्रतिवादी के पिता ने संयुक्त रूप से खरीदा था और जिसमें आधा-आधा हिस्सा था, किन्तु प्रतिवादी के पास एक फिट ज्यादा जगह है और इस संबंध में दस्तावेज होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद निरस्त करने में स्पष्टतः त्रुटि की है।

11. वस्तुस्थिति के संबंध में यदि प्रकरण में वादी साक्षी राजीव सोनी वा०सा० 1 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो प्रमुख रूप से इस साक्षी का अपने वाद अनुसार इस आशय के कथन रहे हैं कि उक्त दुकान बिहारीला सोनी एवं धनीराम ने संयुक्त रूप से कय की थी तथा दुकान का आधा आधा भाग दोनों ही लोगों का था। वादीगण के पास जो दुकान है उसके पीछे एक कमर बना हुआ है तथा सामने बनी दुकानों में पाखाने का गड्ढा था जो कि आधा गड्ढा वादीगण एवं आधा प्रतिवादी के हिस्से में बना हुआ था, किन्तु प्रतिवादी ने बेईमानी पूर्वक वादग्रस्त कमरे के उपयोग से दिनांक 15.08.2011 को रोक दिया। साथ ही इस साक्षी के इस आशय के कथन भी रहे हैं कि प्रतिवादी संजीव के पिता ने वादीगण के पिता को यह आस्वाशन दिया था कि वादीगण के पिता को हमेशा पश्चिम दिशा में



बने कमरे में जाने के लिए संजीव अपनी दुकान में से आवागमन करने देगा, किन्तु संजीव के द्वारा उक्त रास्ता को बंद कर दिया गया है।

12. वादी की ओर से साक्षी उमेश वा0सा0 2 के कथन कराए गए हैं जिसका प्रमुख रूप से यह कहना रहा है कि अंदर कमरे में जाने के लिए विहारीलाल सोनी संजीव की दुकान से होकर जाते थे। साथ ही इस साक्षी ने वादी के पाखाने संबंधी कथनों का भी समर्थन किया है। वादी की ओर से परीक्षित अन्य साक्षी सुरेश वा0सा0 3 ने भी वादी की दुकान के पीछे एक कमरा होना एवं आने जाने के लिए संजीव प्रतिवादी की दुकान से होकर जाने संबंधी कथन किए हैं। जबकि इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी संजीव सोनी प्र0सा0 1 का अपने कथनों में कहना रहा है कि वादीगण के पिता एवं उसके पिता ने आधा आधा भाग क़य किया था, किन्तु बताए गए स्थान पर कोई पाखाना नहीं है और जिस कमरे में वादीगण जाना बता रहे हैं वह प्रतिवादी के स्वामित्व व आधिपत्य का है। साथ ही इस आशय के कथन किए हैं कि कभी भी वादी या वादी के पिता उसके भाग से कमरे में नहीं गए और न कोई रास्ता रहा है और न ही उसने कभी वादीगण का रास्ता बंद किया है।

13. प्रतिवादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में वासुदेव प्र0सा0 2 का कथन कराया गया है जिसने अपने कथनों में वादग्रस्त स्थान पर प्रतिवादी का एक मात्र आधिपत्य होने और दुकान में विहारीलाल व उसके पुत्रों का कभी भी आवागमन होने, न होने संबंधी कथन किए हैं।

14. वादी एवं प्रतिवादी दोनों की ओर से परीक्षित साक्षियों ने अपने अपने कथनों में वादीगणों एवं प्रतिवादी की ओर से किए गए अभिवचनों के अनुसार कथन किए हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है।

15. वादी का प्रमुख वाद आधार प्र.पी. 1 व 2 के बिक्रयपत्र हैं, जिनमें कस्बा गोहद, मोहल्ला सदर बाजार चौराहा बार्ड क्रमांक 4 में स्थित दुकान को क़य बिक्रय किया।

16. प्रकरण में जैसा कि वादीगण की ओर से आधार लिया गया है और वादी साक्षी अभिकथित करते हैं कि मकान वादीगण के पिता/पति एवं प्रतिवादी के पिता ने आधा आधा क़य किया था। इस तथ्य को प्रतिवादी भी स्वीकार करता है। इस संबंध में साक्षी संजीव सोनी प्र0सा0 1 के

प्रतिपरीक्षण में भी यह तथ्य आया है और इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि विवादित दुकान आधी धनीराम एवं आधी मुन्नालाल के द्वारा कय की गई थी।

17. प्रकरण में वादपत्र के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है उसमें वादग्रस्त स्थान जिस भवन में है उस भवन को कुल रास्ते की ओर से 12 फिट चौड़ा एवं 23 फिट गहरा बताया गया है, जिसमें सामने की ओर दो दुकान होना दर्शाई गई है और दोनों ही दुकानों की ओर दो कमरे होना दर्शाए गए हैं। उभय पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों के कथनों में भी यह तथ्य आया है कि दोनों दुकानों के पीछे एक एक कमरा है। वादीगण की ओर से भी यह आधार लिया गया है कि वादीगण की जो दुकान है उसके पीछे जो कमरा है उसमें जाने के लिए वादी की दुकान से कोई रास्ता नहीं है, बल्कि वह पूर्व में प्रतिवादी की दुकान से होकर पीछे बने कमरे में जाते थे, किन्तु यदि प्र.पी. 1 के बिक्रयपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया जाए तो प्र.पी. 1 के बिक्रयपत्र में इसी मकान का एक नक्शा दर्शाया गया है जिसमें भवन में बीच में कोई पार्टीशन नहीं है। इसी भवन को बिक्रयपत्र के माध्यम से धनीराम एवं मुन्नालाल को बिक्रय किया गया है। प्रकरण में यह भी स्वीकृत स्थिति है कि उक्त बिक्रयपत्र दिनांक 01.01.1958 के पश्चात् उक्त भवन की ओर भी रजिस्ट्रारों हुई है, जिन्हें साक्षियों ने स्वीकार किया है।

18. किसी भी पक्ष की ओर से अपने अभिवचन में यह स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि जिस भवन में वादग्रस्त स्थान स्थित है उस भवन में पार्टीशन प्र.पी. 1 के बिक्रयपत्र में दर्शाया गया है नक्शे के बाद कब किया गया, किस आधार पर किया गया और यदि धनीराम एवं मुन्नालाल के नाम से बराबर-बराबर कय किया गया था तो दीवाल एकदम मध्य में न होकर एक तरफ थोड़ी कम और एक तरफ थोड़ी ज्यादा कयों की गई।

19. प्रकरण में उभयपक्ष साक्षियों के प्रतिपरीक्षण दौरान यह भी तथ्य आए हैं कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य जो पार्टीशन है वह अनेक वर्षों से है। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब एक बार किसी सम्पत्ति का दो व्यक्तियों के मध्य बराबर बराबर स्वत्व था तब उस दशा में दीवान दोनों भागों को बराबर बराबर कर के कयों नहीं की गई। यहाँ यह भी दर्शित होता है कि वादी अपनी दुकान

के पीछे जिस कमरे में अपना स्वत्व व आधिपत्य होना दर्शाता है उस कमरे में जाने के लिए वजाय अपनी दुकान से दरवाजा न बनाकर प्रतिवादी की दुकान से जाना क्यों नियत किया गया, क्योंकि जैसा कि वादी की ओर से तर्क किए गए हैं कि चूंकि प्रतिवादी के हिस्से में एक फिट ज्यादा जगह थी इसी कारण उसके हिस्सेसे वादीगण के पीछे के कमरे में जाने का तय हुआ था। यह स्वभाविक और वास्तविक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जब दोनों लोगों के मध्य बटवारा हुआ है और पार्टिशन किया जा रहा है तब उस दशा में सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति इस प्राकर की परिस्थितियाँ विवाद के लिए नहीं छोड़ेगा कि केवल एक फिट जगह अधिक होने के कारण दूसरे व्यक्ति की दुकान में से जो कि एक ज्वेलर की दुकान है आना जाना स्वीकार करे, जबकि उसी दुकान में एक दरवाजा निकालकर पीछे के कमरे में आने जाने के लिए रास्ता बनाया जाना ज्यादा सुविधाजनक है।

20. वादी की ओर से यह आधार भी लिया गया है कि प्रतिवादी के पिता ने वादीगण के पिता/पति को यह आस्वाशन दिया था कि प्रतिवादी की दुकान में से पीछे के कमरे में आवागमन रहेगा, किन्तु इस संबंध में उक्त शर्त किस के सामने नियत की गई कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी साक्षी राजीव ने अपने कथनों में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बातचीत उसके सामने नहीं हुई थी, शर्त नियत किये जाने का कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी की ओर से लिया गया यह आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि प्रतिवादी की दुकान में से आने जाने की सहमति अथवा स्वीकृति प्रतिवादी के पिता ने वादीगण के पिता/पति को दी थी।

21. वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से आधे मकान का स्वत्व संबंधी आधार लिया गया है, किन्तु यदि इस संबंध में वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्र.पी. 2 के पृष्ठ क्रमांक 3 का अवलोकन किया जावे तो इसमें स्पष्टतः इस बात का उल्लेख है कि दुकान में 1/2 भाग मुन्नालाल का है, लेकिन पूरी छत का स्वामित्व व आधिपत्य एक मात्र विहारीलाल का रहेगा।

22. वादी की ओर से प्र.पी. 3 का एक सूचनापत्र प्रदर्शित कराया है, किन्तु वादी साक्षी राजीव वा0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उक्त नोटिस वार्ड क्रमांक 12 के संबंध में है, जबकि वादग्रस्त दुकान वार्ड क्रमांक 6 में है और नोटिस का विवादित दुकान से कोई संबंध नहीं है।



23. वादी साक्षी राजीव सोनी वा0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण कंडिका 6 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्र.पी. 2 के वयनामा से पहले उसके पिता विहारीलाल का विवादित दुकान से कोई संबंध नहीं था। वादी का यह भी कहना नहीं रहा है कि पार्टिशन उसके द्वारा क्रय किये जाने के पश्चात् हुआ। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि वादी के पिता द्वारा दुकान जैसी है, जिस परिस्थिति में है क्रय की गई थी और बिक्रयपत्र में इस आशय का उल्लेख नहीं कराया गया कि प्रतिवादी के पिता के पास एक फिट ज्यादा जगह है।

24. वादी/अपीलार्थीगण की ओर से प्रमुख रूप से यह आधार लिया गया है कि प्रतिवादी के पिता ने वादी के पिता/पति को अपनी दुकान में से निकलने के लिए मौखिक आस्वाशन दिया था। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि वादग्रस्त भूमियाँ बार बार बिक्रय हुई हैं। किस भाग पर, किस का स्वामित्व है इस बात का उल्लेख भी प्र.पी. 2 के दस्तावेज में है, किन्तु जैसा कि वादी प्रतिवादी की दुकान में से निकलने का रास्ता अभिकथित करता है ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 91, 92 आकर्षित होती है जो यह प्रावधान करती है कि जहाँ किसी संविदा के, या अनुदान के, या सम्पत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबंधन, दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर दिए गए हों तब स्वयं उन दस्तावेजों के सिवाय या उन दशाओं में जो धाराओं में वर्णित है से अन्यथा द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय कोई साक्ष्य नहीं दी जावेगी। प्रश्नगत प्रकरण में वादी/अपीलार्थी की ओर से लिया गये गए आधार के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत बिक्रयपत्र से अर्थात् वादग्रस्त भवन के संबंध में कोई संविदा थी प्रमाणित नहीं होता है।

25. प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत बिक्रयपत्र प्र.पी. 1 में वादग्रस्त मकान के 1/2 भाग के दो व्यक्तियों के स्वामित्वधारी होने का उल्लेख तो अवश्य है, किन्तु उस समय प्रत्यक्ष रूप से वादी के पिता/पति ने प्रत्यक्ष दुकान नहीं खरीदी थी। पश्चात्वर्ती परिस्थितियों में दुकान में किस प्रकार पार्टिशन किया गया स्थिति स्पष्ट न होने से और लम्बे समय से मौके पर पार्टिशन होने से वादी की ओर से लिये गए आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है। वादी स्वयं अथवा वादी के पिता को वादग्रस्त भूमि पर अभिकथित अधिकार व स्वत्व प्राप्त हो।

26. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त करने का जो निष्कर्ष निकाला है वह अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं विधि के मान्य सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें अपीलाधीन शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

27. परिणामतः अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य निर्णय एवं जयपत्र की पुष्टि की जाती है। वादी/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

28. प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुये उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

29. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा या सूची अनुसार जो भी कम हो आज्ञाप्ति में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में पारित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)